Dr. Shyam Shankar
Associate Professor
Deptt. of Pol. Science
Raja Singh College
Siwan.

For BA Hons. Part II

कार्यपालिका का तुलनात्मक अध्ययन: भारत और अमेरिका

सरकार के तीन अंग होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अर्थात सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका कहलाता है। यह व्यवस्थापिका या विधायिका द्वारा बनाये गये कानूनों को लागू करता है। गिलक्राईस्ट के शब्दों में "कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है।" कार्यपालिका के कई रूप हैं। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका अर्थात जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि राजनीतिक कार्यपालिका तो प्रशासनिक पदाधिकारी जो भर्ती की तिथि से सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर बने रहते हैं जैसे IAS तथा अन्य कर्मचारी को स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। दूसरे, नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका अर्थात संसदीय शासन प्रणाली में सिद्धान्त रूप में सारी शक्तियाँ नाममात्र की कार्यपालिका में निहित होती हैं जबकि व्यवहार में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संगठित मंत्रिमण्डल और नेता प्रधानमंत्री करता है। भारत में राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यपालिका प्रधान है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में कार्यपालिका का प्रधान है। इसके अलावे भी एकल और बहुल कार्यपालिका अर्थात जहाँ कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित हो उसे एकल कार्यपालिका कहा जाता है जैसे भारत और अमेरिका दोनों ही जगह एकल कार्यपालिका है जबकि स्विस संघीय परिषद में सात व्यक्तियों में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है उसे बहुल कार्यपालिका

वंशानुक्रम और निर्वाचित कार्यपालिका अर्थात जब वंशानुक्रम से कोई सत्ता में आये तो उसे वंशानुक्रम और जब कोई निर्वाचित होकर सत्ता में आये तो उसे निर्वाचित कार्यपालिका कहा जाता है। इस दृष्टि से भारत और अमेरिका दोनों देश में निर्वाचित कार्यपालिका का ही प्रावधान है। उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका अर्थात जब संसदीय प्रणाली में अपने कार्यों के लिए कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और उसे निश्चित अवधि से पूर्व उसके पद से हटाया भी नहीं जा सकता है। भारत में कार्यपालिका उत्तरदायी है जबकि अमेरिका में कार्यपालिका कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है जबकि भारत में संसदीय। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने शासन और राज्य का प्रमुख होता है। अमेरिकी सांविधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता है। विगत वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में घटित घटनाओं में अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ अमेरिका सत्ता प्रमुख न ही भूमिका निभाई है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर भी उसने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति कायम की है। उसे अमेरिका का निर्वाचित नरेन्द्र की संज्ञा दी जाती है। उसकी स्थिति सिर्फ संवैधानिक अध्यक्ष की नहीं है बल्कि उसका पद अमेरिकी शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था की बन गई है।

जबकि भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। संवैधानिक या सैद्धान्तिक तौर पर समस्त कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित की गई है लेकिन व्यवहार में उन समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री न केवल कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है बल्कि भारतीय विधायिका अथवा संसद में भी उसकी स्थिति एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण नेता की होती है। प्रधानमंत्री चूंकि संसद में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है इससे उसकी भूमिका